

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-14)

कमांक प. 2 (1) ग्रा.वि.वि. /SECC/ 14/ 2011

जयपुर, दिनांक 9.11.2011

जिला कलक्टर एवं  
प्रमुख SECC- 2011 अधिकारी,  
समस्त, राजस्थान।

विषय:- सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 का कार्य प्रारम्भ करने के संबंध में ।

संदर्भ :- विभागीय परिपत्र संख्या 6 दिनांक 20.10.2011 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 2.11.2011

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र दिनांक 2.11.2011 के द्वारा जिला स्तरीय दो चार्ज कार्यालयों (एक शहरी एवं एक ग्रामीण क्षेत्र) में जनगणना का कार्य दिनांक 5.11.2011 से स्थगित करने के निर्देश दिये गये थे ।

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि0 के कार्यकारी निदेशक से हुई चर्चा के अनुसार राज्य में सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना - 2011 का कार्य निम्नानुसार प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है :-

प्रथम फेज :- जिला स्तरीय दो चार्ज कार्यालयों में (एक शहरी एवं एक ग्रामीण क्षेत्र)

क्र.सं.	दिनांक	जिला
1	16.11.2011	चुरु, धौलपुर, सवाईमाधोपुर एवं सीकर
2	19.11.2011	जयपुर एवं उदयपुर
3	20.11.2011	जालौर, सिरोंही, पाली, राजसमंद, चित्तोडगढ़ एवं बांरा
4	21.11.2011	गंगानगर, बीकानेर, भरतपुर, दौसा, जैसलमेर, अजमेर, टाँक, झालावाडा एवं प्रतापगढ़
5	22.11.2011	झुन्झुनू, नागौर, बूंदी, डूंगरपुर एवं बांसवाडा
6	23.11.2011	हनुमानगढ़, अजमेर, करौली, जोधपुर, भीलवाडा एवं कोटा
7	25.11.2011	बाडमेर

द्वितीय फेज :- प्रथम फेज के जिला स्तरीय दो चार्ज कार्यालयों को छोड़कर समस्त शेष चार्ज कार्यालयों में :-

क.सं.	दिनांक	जिला
1	12.12.2011	समस्त जिलों में

कृपया जनगणना का कार्य निर्धारित तिथि पर राज्य सरकार के समय-समय पर दिये गये निर्देशानुसार प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित करें ।




(सी. एस. राजन)

अति० मुख्य सचिव एवं नोडल अधिकारी

SECC-2011

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, शहरी विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
7. प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
8. प्रमुख शासन सचिव, समस्त, जयपुर।
9. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
10. शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त संबंध में प्रेस नोट जारी करने का श्रम करें।
11. निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान, 6-बी, झालाना डुगरी, जयपुर।
12. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राज्य सूचना विज्ञान कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
13. गार्ड फाईल।



शासन सचिव  
ग्रामीण विकास